उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा जनजातीय समाज है

ए. के. वर्मा

जिस राज्य में स्वतंत्रता के पूर्व जनजातीय समुदाय के लाखों लोग रहे हों और सरकारी आंकड़ों में उनको दर्शाया जाता रहा हो, स्वतंत्रता मिलते और संविधान बनते ही वे सब कहां विलुप्त हो गए? उत्तर प्रदेश इसका जीता-जागता उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश को जन-जातिविहीन राज्य मान लिया गया क्योंकि जनगणना आयोग की 1951 व 1961 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या शून्य दिखाई गई। जिस राज्य में अनेक जनजातियां रही हो उसको जनजातिविहीन राज्य की संज्ञा देना उस राज्य और उसमें निवास करने वाली जनजातियों के साथ क्या घोर अन्याय नहीं? इससे उन जनजातियों के न केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन हो गया वरन उनकी अस्मिता का भी लोप हो गया। यह सब बावजूद

इसके कि संविधान ने उनके उन्नयन और उन्हें समाज की मुख्य-धारा में लाने के लिए अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजातीय आयोग के गठन का प्रावधान किया था।

इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जनजातियों की न कभी सही ढंग से पहचान करने की कोशिश की गई, और जब की भी गई तो उनकी ठीक तरह से जनगणना नहीं की गई। इन दोनों समस्याओं की जड़ में संविधान के प्रावधान और सरकारों की उदासीनता रही है। स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में सैकड़ों समुदाय जनजातियों के थे। उनमें से अधिकतर अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों जैसे कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ियों, नेपाल से लगी तराई, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और विंध्य-प्रदेश तथा पूर्वी-उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में रहते थे लेकिन संविधान बनने के बाद प्रदेश में केवल पांच जनजातियों—भोटिया, बुक्सा, जांसारी, राजी और थारू—को ही 'अनुसूचित-जनजाति' के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शेष जनजातियों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया।

ऐसा करके संविधान ने जनजातियों को दो भागों में बांट दिया। एक अत्यंत छोटे वर्ग को अनुसूचित-जनजाति की मान्यता दे दी गई और एक बहुत बड़े भाग को कोई मान्यता ही नहीं दी गई, उनको हम गैर-अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं। लेकिन सरकार ने तो उनको गैर-अनुसूचित जनजाति का भी दर्जा देना उचित नहीं समझा। सभी सुविधाएं अनुसूचित-जनजातियों को दे दी गई, लेकिन गैर-अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी संरक्षणात्मक प्रावधान नहीं किये गए. इतना ही नहीं, गैर-अनुसूचित जनजातियों का अलग से कोई सामाजिक वर्ग न बनाए जाने के कारण उनकी अलग से जनगणना भी नहीं की जा सकी, बल्कि उनको हिंदू समाज के सबसे निचले तबके—अनुसूचित-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग—में शुमार कर लिया गया। इससे न केवल उनकी अस्मिता को ठेस पहुंची अपितु उनकी विशाल संख्या से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या में भी त्रुटिवश अपार वृद्धि हो गई। इसके चलते, प्रदेश में अनुसूचित-जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण भी नहीं मिला, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो कोटा उनके लिए रखा गया था उसे लगभग समाप्त करके अनुसूचित जातियों को दे दिया गया, उनको मात्र एक प्रतिशत आरक्षण देकर उनके हिस्से का शेष कोटा अनुसूचित जातियों के कोटे में मिला दिया गया जिससे अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा 14% से बढ़कर 21% हो गया। यह अनुसूचित जनजातियों के साथ सरासर अन्याय था।

भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वे प्रत्येक प्रदेश के राज्यपाल से सलाह कर राज्यवार अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाए। ऐसी ही सूची उनको अनुसूचित जातियों के लिए भी बनानी थी। अनुसूचित जातियों में वे जातियां थीं जिनको उस समय अछूत माना जाता था। उनको चिह्नित करना सरल था पर जनजातियों को अनुसूचित करने का न तो कोई कारण था, न ही कोई वस्तुनिष्ठ आधार, क्योंकि उनमें न तो ऊंच-नीच का संबंध था, न ही कोई अछूत था। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों ने कुछ जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया था और वहां पर बाहरी लोगों की वाणिज्यिक गतिविधिओं पर प्रतिबंध लगाया था। 1935 के कानून के अंतर्गत कुछ पिछड़ी जनजातियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन संविधान बनने के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को ही अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दे दिया। इससे अन्य क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा नहीं मिल पाया। वास्तव में सभी जनजातियां पिछड़ी थीं और बिना किसी भेदभाव के उनको अनुसूचित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो न सका। और जो हुआ वह शर्मनाक था।

एक तो राष्ट्रपति ने 1950 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल सर हरमश्जी पेरोशाह मोदी से परामर्श कर उत्तर प्रदेश में केवल पांच जनजातियों को प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी, दूसरे प्रदेश सरकार ने 17

वर्षों तक राष्ट्रपति के आदेश को धता बताकर उन पांचो अनुसूचित-जनजातियों को अधिसूचित (नोटिफाई) ही नहीं किया। परिणामस्वरूप, भोटिया, बुक्सा, जान्सारी, राजी और थारू अनुसूचित जनजातियों की गणना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और जनगणना आयोग ने 1951 और 1961 की जनगणना में प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या शून्य बताई। बहुत हो-हल्ले के बाद 1967 में जब प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित किया तब जाकर पहली बार अनुसूचित जनजातियों के रूप में उनकी गणना आगामी 1971 की जनगणना में की गई। तदनुसार प्रदेश में 1971 में 199000, 1981 में 233000 और 1991 में 287901 अनुसूचित जनजातियां पाई गईं। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना में केवल 107963 अनुसूचित जनजातियां ही रह गईं (सारणी -1)।

सारणी 1 : अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और दशकीय विकास दर

जनगणना वर्ष	भारत की जनसंख्या (करोड़ में)	दशकीय जनसंख्या विकास दर	देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय जनसंख्या विकास दर (%)	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय जनसंख्या विकास दर (%)	टिप्पणी
1901	23.83	-	-	-	-	-	
1911	25.20	5.7	-	-	-	-	
1921	25.13	(-)0.31	16100000	-	-	-	
1931	27.89	11	22400000	39.1	-	-	
1941	31.86	14.22	24700000	2.3	-	-	
1951	36.10	13.31	19100000	(-)22.6	•	-	
1961	43.92	21.64	29883470	57.6	•	-	
1971	54.81	24.80	38015162	26.2	199000	-	वर्ष 2000 में
1981	68.33	24.69	51628638	35.8	233000	17	उत्तराखंड के
1991	84.64	23.85	67758380	31.2	287901	23	गठन के बाद
2001	102.87	21.23	84326240	24.4	107963	26	उत्तर प्रदेश ने
2011	121.01	17.60	104281034	23.7	1134273	950	256129 अनु. जनजातियां
					[2665774]•	[2500]•	खो दीं

स्रोत : संबंधित वर्षों के जनगणना के आंकड़ों से संकलित

• 1951 और 1961 के आंकड़े उपलब्ध नहीं क्योंकि जून 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच अनु. जन-जातियों - भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को अनु. जन-जातियों के रूप में अधिनियमित किया और उनकी प्रथम बार जनगणना 1971 में हो पाई.

• यद्यपि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में अनु. जन-जातियों की जनसंख्या 1134273 ही बताई गई है परंतु जनजातियों के मकानों की गणना और प्रत्येक मकान में रहने वाले विवाहित अनु. जनजातियों के जोड़ों की संख्या भी दी गई है. जिससे पता चलता है कि अनु. जनजातियों की सही जनसंख्या जनगणना में दिखाई संख्या के दोगुने से भी ज्यादा हो सकती है।

2011 की जनगणना में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी बढ़कर 11 लाख हो गई जिसका जिलेवार विवरण सारणी-2 में दिया गया है। इस प्रकार 2001-2011 में अनुसूचित-जनजातियों की आबादी में प्रदेश में 1100% की वृद्धि हुई है। पिछले दशकों के मुकाबले यह ज्यादा लग सकती है क्योंकि 1971-81 में यह वृद्धि 17%, 1981-91 में 23% और 1991-2001 में 26% थी। लेकिन, ऐसा लगता है कि अनुसूचित जनजातियों की नूतन जनगणना के आंकड़े काफी कम करके दिखाए गए हैं क्योंकि जनगणना आयोग ने पहले अनुसूचित-जनजातियों के मकानों के आंकड़े जारी किए थे जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के 512649 मकान बताए गए। पिछले आंकड़ों के आधार पर एक अनुसूचित-जनजाति मकान में औसतन 5.2 लोग रहते हैं। इस गणना के अनुसार तो प्रदेश में अनुसूचित-जनजातियों की आबादी 25 लाख के ऊपर बैठती है। इसके अलावा, जनगणना आयोग ने यह भी बताया कि 512649 मकानों में कितने-कितने मकानों में अनुसूचित-जनजातियों के एक, दो, तीन, चार, पांच या अधिक विवाहित-जोड़े रहते हैं। यदि उस आधार पर भी गणना की जाये तो भी अनुसूचित-जनजातियों की जनसंख्या 1380822 बैठती है जो आयोग द्वारा घोषित संख्या से 246549 अधिक है। और, यह तब जब इस गणना में बच्चे, अविवाहितों और पांच से ज्यादा विवाहित-जोड़े वाले मकानों के सदस्यों को नहीं गिना गया है। यदि उनको भी गिना जाये तो यह संख्या पच्चीस लाख के आसपास जरूर पहुंच जाएगी।

सारणी 2 : उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या (2011)

खण्ड	क्रम संख्या	जिला	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	खंड संख्या	क्रम संख्या	जिला	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या
आगरा	1	मथुरा	240	मेरठ	36	मेरठ	546
	2	आगरा	1162		37	गाजियाबाद	789
	3	फिरोजाबाद	383		38	बुलंदशहर	61
	4	मैनपुरी	72		39	गौतम बुद्ध नगर	459
इलाहाबाद	5	फतेहपुर	67		40	बागपत	04
	6	प्रतापगढ़	134	मोरादाबाद	41	बिजनौर	527
	7	इलाहाबाद	1585		42	मोरादाबाद	129
	8	कौशाम्बी	44		43	रामपुर	81
बरेली	9	बदायूं	13		44	जे पी नगर	33
	10	बरेली	603	वाराणसी	45	जौनपुर	789
	11	पीलीभीत	339		46	गाजीपुर	4415
	12	शाहजहांपुर	99		47	बनारस	4553
फैजाबाद	13	बाराबंकी	139		48	चंदौली	6797
	14	सुल्तानपुर	147	आज़मगढ़	49	मऊ	3542
	15	फैजाबाद	192		50	आज़मगढ़	1985
	16	अम्बेडकरनगर	149		51	बलिया	16061
गोरखपुर	17	महराजगंज	2569	बस्ती	52	सिद्धार्थनगर	1813

	18	गोरखपुर	2990
	19	देवरिया	16925
	20	कुशीनगर	13216
झांसी	21	जालौन	136
	22	झांसी	748
	23	ललितपुर	13933
कानपुर	24	फर्रुखाबाद	43
	25	इटावा	35
	26	कानपुर देहात	156
	27	कानपुर नगर	687
	28	कन्नौज	63
	29	औरैया	40
लखनऊ	30	लखीमपुर खीरी	7101
	31	सीतापुर	292
	32	हरदोई	72
	33	उन्नाव	502
	34	लखनऊ	1534
	35	राय बरेली	339
	53	संत कबीरनगर	211
	54	बस्ती	562
विन्ध्याचल	55	मिर्जापुर	3270
	56	सोनभद्र	67930
	57	भदोही	284
सहारनपुर	58	सहारनपुर	189
	59	मुजफ्फरनगर	56
चित्रकूट	60	हमीरपुर	83
	61	बांदा	26
	62	महोबा	121
	63	चित्रकूट	40
देवीपाटन	64	बहराइच	1740
	65	गोंडा	156
	66	श्रावस्ती	824
	67	बलरामपुर	3341
अलीगढ़	68	अलीगढ़	100
	69	एटा	27
	70	महामायानगर	65
	71	कांशीराम नगर	25

स्रोत : प्राइमरी सेन्सस संक्षेप 2011, अनुसूचित जनजाति, जनगणना आयोग , भारत सरकार

उत्तर प्रदेश में इतनी कम अनुसूचित-जनजातियां दिखाई देने के कई कारण हैं। एक, 1950 में केवल पांच जनजातियों को अनुसूचित करने की प्रक्रिया दोष पूर्ण थी जिससे अनेक महत्त्वपूर्ण और बहुसंख्यक जनजातियां जैसे गोंड, धुरिया, खरवार, खैरवार, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, सहरया, पहरया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चीरो, भुइयां, कहार, मल्लाह, कोल आदि को अनुसूचित न किया जा सका। 52 वर्षों के संघर्ष के बाद, वर्ष 2002 में संसद ने कानून बना कर सत्रह जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकालकर अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया (सारणी-3)। लेकिन वह भी केवल आधा-अधूराय अर्थात् इन सत्रह नई अनुसूचित जनजातियों को उत्तर प्रदेश के केवल 13 पूर्वी जिलों और बुंदेलखंड के ललितपुर में ही मान्यता प्रदान की गई जिससे शेष 58 जिलों में वे अनुसूचित-जाति की सूची में ही बनी रही। जहां इससे कुछ नई अनुसूचित-जनजातियों की अस्मिता को मान्यता मिली वहीं दुर्भाग्य से उनका क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा भी हो गया। 13 जिलों में वे अनुसूचित जनजाति और 58 जिलों में अनुसूचित जाति हो गई—इसके बावजूद कि उनमें रोटी-बेटी का संबंध था और है। यदि इन सत्रह जनजातियों को सम्पूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की मान्यता दे दी जाए तो न केवल उनके साथ न्याय होगा वरन उनकी जनसंख्या का भी समुचित आंकलन हो सकेगा।



सारणी-3 : संसद द्वारा उ.प्र. की 17 जनजातियों को कुछ जिलों में अनु. जन-जाति की मान्यता

क्रम संख्या	जन-जातीय उपजातीय समुदाय	जिन जिलों में अनु. जनजाति की मान्यता है
1	गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज-गोंड	महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र
2	खरवार, खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र
3	सहरया	ललितपुर
4	परहिया	सोनभद्र
5	बैगा	सोनभद्र
6	पंखा, पंखी	मिर्जापुर, सोनभद्र
7	अगरिया	सोनभद्र
8	पटारी	सोनभद्र
9	चेरो	सोनभद्र, वाराणसी
10	भुइया, भुइंया	सोनभद्र

स्रोत : 'अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) कानून 2002

द्वितीय, संसदीय कानून 2002 ने गोंड की केवल पांच उप-जातियों (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड) को ही अनुसूचित-जनजाति की मान्यता दी जबकि उनकी बहुसंख्यक उप-जाति 'कहार और मल्लाह' को अलग रखा। उत्तर प्रदेश के आदिवासियों पर शोध करने वाले विद्वानों डब्लू. क्रुक, रसेल और हीरालाल आदि ने कहार और मल्लाह को गोंड की उपजाति माना है। उनके अनुसार 1891 की जनगणना में वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिलों में गोंडों की आबादी 124504, कहारों की 1189469, और मल्लाहों की 369008 थी। यदि 110 वर्षों में उनकी जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाये तो आज प्रदेश में उनकी आबादी 85 लाख के ऊपर होनी चाहिए।

तीन, अभी अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में प्रदेश सरकार बात ही नहीं करती जैसे अहेरिया, बहेलिया, बिन्द, कोल, लुनिया/नूनिया, मुसहर, नट आदि। इनकी भी आबादी 40 लाख के आसपास होनी चाहिए (सारणी -4)। चार, अनेक जनजातियां 'डीनोटिफाइड' व घुमंतू श्रेणी में रखी गई है और उनमें से अधिकतर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' में हैं जिनको निकाल कर अनुसूचित-जनजातियों की श्रेणी में लाने की जरुरत है(सारणी -5)। यदि यह सब करने का साहस सरकार में हो तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित-जनजातियों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का सात से आठ प्रतिशत हो जाएगी जो अनुसूचित-जनजातियों की राष्ट्रीय आबादी के अनुपात के बराबर होगा। जिस सामाजिक-वर्ग का इतना बड़ा अनुपात प्रदेश में हो, उस प्रदेश को अनुसूचित-जनजातिविहीन कह देना प्रदेश और जनजातियों के प्रति कितना बड़ा अन्याय है?

सारणी 4 : उत्तर प्रदेश की विस्मृत जन-जातियां

1891 की जनगणना में उल्लिखित उत्तर प्रदेश की जन-जातियां	1891 की जनगणना में जनसंख्या
अगरिया	938
अहेरिया	19766
अहिवासी	9502

बहेलिया	33754
बैसवार	1898
बल्हार	2359
बावरिया	2729
भील	190
बिन्द	76986
बियार	18821
धनगर	783
गोली	21
हबूड़ा	2596
कंजर	17865
कोल	68566
कोरवा	33
कोटवार	97
लुनिया-नुनिया	412817
महरा	699
मझवार	16263
मांझी	6122
मुसहर	40662
नट	63282
संसिया	4290
सोइरी	17822
कुल जनसंख्या	818863

स्रोत : डब्लू. क्रुक, 'दी ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ दी नार्थ-वेस्टर्न प्रोविन्सेस एंड अवध', गवर्नमेंट प्रिंटिंग 1896

सारणी 5 : उत्तर प्रदेश में अपराधी एवं घुमंतू जनजातियां

डी-नोटीफाइड जातियां : बंजारा, भर, कहार, गंडीला, घोसी (हिंदू), केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औंधिया, तनगा, भट, खुर-पलटा, मुगिया, मदारी, सिंगिवल, औघड़, बैद, भट्ट, चमार-मंगटा, जोगी, जोगा, किन्घिरिया, महावत, भटरी, सपेरा, करमंगा (हिंदू महावत), बेलदार, कन्मैलिया, गोसाई, गोदनहार, लोना, चमार, बरगी, सिकलीगर, कनकली, ब्रजबासी, कलंदर, फकीर

घुमंतू जातियां : बंजारा, भर, दलेर, कहार, गंडीला, घोसी (हिंदू), केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औंधिया, तनगा, भट, खुर-पलटा, मुगिया, मदारी, सिंगिवल, औघड़, बैद, भट्ट, चमार-मंगटा, जोगी, जोगा, किन्घिरिया, महावत, लुंगी पठान, भटरी, सपेरा, करमंगा (हिंदू महावत), बेलदार, कन्मैलिया, गोसाई, गोदनहार, लोना, चमार, बरगी, सिकलीगर, कनकली, ब्रजबासी, कलंदर, फकीर

स्रोत : नेशनल कमीशन फॉर डीनोटीफाइड, नोमेडिक एंड सेमी-नोमेडिक ट्राइब्स, भारत सरकार, नई दिल्ली

यदि उत्तर प्रदेश में जनजातियों की सही गणना की जाये तो उनको वास्तविक जनसंख्या के अनुसार लोकसभा में लगभग छह सीटें और विधान सभा में 30 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, तथा सरकारी नौकरियों में उनके लिए साल प्रतिशत आरक्षण करना पड़ सकता है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जातियों को हो सकता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से 17 जातियों को निकाल कर अनुसूचित जनजातियों में डालने के बजाय उन्हें अनुसूचित जातियों में डालने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा है, केवल 'कोल' जाति को ही अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रतिवेदन भेजा गया है।

यदि राजनीतिक दलों ने अनुसूचित जनजातियों को लेकर सियासी खेल बंद नहीं किया और उनकी अस्मिता और संख्या से खिलवाड़ करते रहे तो इसके परिणाम प्रदेश और उसकी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ नहीं होगा। नक्सलवाद कोई एक दिन में और ऐसे ही नहीं पनपा है, उसके पीछे जनजातियों की उपेक्षा, शोषण और अन्याय की एक लम्बी दास्तां है।

